प्रेस विज्ञप्ति
1/03/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) "महादेव ऑनलाइन बुक" के खिलाफ एक मामले की जांच कर रही है, जो एक प्रमुख अंब्रेला सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित (लेयर्ड) वेब के माध्यम से धन शोधन करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्मों की व्यवस्था करता है। ईडी ने हाल ही में कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर में महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े धन शोधन तंत्र (मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क) के खिलाफ व्यापक तलाशी ली है और 1.86 करोड़ रुपये की नकदी, 1.78 करोड़ रुपये के कीमती सामान बरामद किए हैं और 580.78 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) की भी जब्ती/पहचान की गई है। तलाशी के परिणामस्वरूप डिजिटल डेटा और संपत्तियों की पहचान सहित बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए हैं।

ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, विशाखापत्तनम पुलिस और अन्य राज्यों द्वारा दर्ज की गई अन्य एफआईआर को भी रिकॉर्ड पर लिया गया। मामले की ईडी जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक का संचालन दुबई से किया जा रहा है और यह अपने ज्ञात सहयोगियों को 70% -30% लाभ अनुपात पर "पैनल/शाखाओं" की फ्रेंचाइजी देकर संचालित होता है। महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रमोटर "रेड्डी अन्ना", फेयरप्ले आदि जैसे विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी बुक में भी भागीदार/प्रमोटर हैं, सट्टेबाजी की आय को विदेशी (ऑफ-शोर) खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं।

आगे की जांच के दौरान, ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों से जुड़े अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की सफलतापूर्वक पहचान की थी। यह पाया गया कि हरि शंकर टिबरेवाल, जो कोलकाता का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में दुबई में रहता है, एक बड़ा हवाला संचालक (ऑपरेटर) है और उसने महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों के साथ साझेदारी की है। ईडी ने उनके ज्ञात परिसरों और उनके सहयोगियों के परिसरों पर तलाशी ली। तलाशी से पता चला कि हरि शंकर टिबरेवाल अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों में से एक स्काईएक्सचेंज का मालिक है और उसका संचालन करता था। वह अपनी दुबई स्थित संस्थाओं के माध्यम से सट्टेबाजी से प्राप्त आय को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मार्ग के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर रहा था। उन्होंने अपने कई सहयोगियों को विभिन्न कंपनियों में निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया था जो सट्टेबाजी से प्राप्त आय को शेयर बाजार में निवेश के द्वारा स्तरीकरण (लेयरिंग) में शामिल थे। वह सट्टेबाजी फंड के बड़े पैमाने पर हवाला लेनदेन में भी शामिल था। तदनुसार, ईडी द्वारा पीएमएलए, 2002 के तहत हरि शंकर टिबरेवाल के लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के नाम पर जमा 580.78 करोड़ रुपये मूल्य की सुरक्षा होल्डिंग्स को जब्त कर लिया गया है।

इससे पहले इस मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत की गई तलाशी के दौरान चल संपत्ति कुल 572.41 करोड़ रुपये जब्त/जमा किए गए हैं। दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें रुपये 142.86 करोड़ मूल्य की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं। मामले में अभियोजन शिकायतें दिनांक 20.10.2023 और 01.01.2024 दर्ज की गई हैं। मामले में नौ आरोपियों को पहले ही पकड़ा जा चुका है। इस प्रकार, मामले में कुल कुर्की/फ्रीज़िंग की राशि रुपये 1296.05 करोड़ है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।